दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के मुख्य बिन्दु

1— दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (आय सीमा)

क0	वर्ग	माता–पिता की वार्षिक आय सीमा
1	अनुसूचित जाति	रू0 2.50 लाख
2	सामान्य वर्ग	रू0 2.00 लाख

2— अनु0जा0 / सामान्य वर्ग में छात्रवृत्ति की वार्षिक दर—

समूह	पाठ्यक्रम	आवासीय	दिवा छात्र
I	एम0फिल0, पी0एच0डी0, बी0टेक0, सी0ए0, आदि	13500	7000
II	एम0ए0, एम0एस0सी0, आदि	9500	6500
III	बी0ए0, बी0एस0सी0, आदि	6000	3000
IV	आई0टी0आई0 व कक्षा 11–12 आदि	4000	2500

3— केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से हाईस्कूल उत्तीर्ण छात्रों को उच्च कक्षाओं में छात्रवृत्ति की सुविधा अनुमन्य।

4— व्यवसायिक / तकनीकी पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति अनुमन्य।

5— अन्य प्रदेश के विश्वविद्यालय / सक्षम स्तर से सम्बद्धता प्राप्त प्रदेश में स्थित निजी शिक्षण संस्थान, जिनकी नियंत्रक बाडी व परीक्षा एजेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं है, के छात्र छात्रवृत्ति हेतु अनुमन्य नहीं।

6– पाठ्यक्रम आठ लेवल में विभाजित। प्रत्येक लेवल में एक प्रोफेशनल व एक नॉन प्रोफेशनल कोर्स में छात्रवृत्ति अनुमन्य।

7– नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के किसी वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उपरांत कोर्स अधूरा छोड़कर अखिल भारतीय/राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर नवीन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश पर पाठ्यक्रम के सभी वर्षों में छात्रवृत्ति हेतु पात्र।

8– नवीन शिक्षण संस्थाओं/पाठ्यक्रमों को मास्टर डाटा में सम्मिलित किये जाने हेतु मान्यता/सम्बद्धता की कटआफ तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितम्बर की गयी है।

9– आनलाइन आवेदन पत्र में आधार ई–के0वाई0सी0 से छात्रों का व्यक्तिगत विवरण आटोफेच।

10– छात्रवृत्ति हेतु छात्रों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। रिसर्च/डाक्टरेट के लिए नियम नहीं।

11– संस्थानों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली की दो चरणों में स्थापना। छात्रों को पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य।
प्रथम चरण (वर्ष 2023–24)
द्वितीय चरण (वर्ष 2024–25)
वर्ष 2025–26 से आधार बेस बायोमेट्रिक अटेण्डेंस प्रणाली को न अपनाने वाले संस्थाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं।

12– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रत्येक वर्ष आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च।

13– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को राजकीय/अनुदानित संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश/फ्रीशिप कार्ड पोर्टल से जनरेट। छात्रों को नियमावली की शर्तों के अधीन छात्रवृत्ति की सैद्धान्तिक स्वीकृति की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से।

14– सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य।

15– वर्ष 2025–26 से NAAC/NBA ग्रेडिंग प्राप्त संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति अनुमन्य।

16– हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के 6 वर्ष के अन्दर आई0टी0आई0 करने पर छात्रवृत्ति अनुमन्य।

17– छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में केवल एक बार माता–पिता/अभिभावक का आय प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

18– अनुसूचित जाति छात्रों को 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा तथा 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा सीधे आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान।

19– छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वरीयता श्रेणी– सर्वप्रथम राजकीय शिक्षण संस्थानों, उसके पश्चात अनुदानित शिक्षण संस्थान व अंत में निजी शिक्षण संस्थानों के छात्रों को धनराशि अनुमन्य। वरीयता में पहले नवीनीकरण छात्र व उसके पश्चात नवीन छात्रों को धनराशि भुगतान।

20– छात्र स्तर से आनलाइन आवेदन से लेकर धनराशि अंतरण तक प्रत्येक स्तर पर छात्रों को एस0एम0एस0 द्वारा सूचित करना।

21– शिक्षण संस्था, जिला विद्यालय निरीक्षक, विश्वविद्यालय, एफिलियेटिंग एजेंसी में छात्रवृत्ति का कार्य संचालित करने वाले नोडल अधिकारियों, प्राचार्य आदि का ई–के0वाई0सी0। प्रत्येक स्तर पर डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य।

22– आय, जाति, निवास प्रमाण–पत्र का ई–डिस्ट्रिक्ट से लाइव चेक।

23– छात्रवृत्ति पोर्टल को पी0एफ0एम0एस0 / एन0पी0सी0आई0 / यू0आई0डी0ए0आई0 / डिजीलाकर से इंटीग्रेशन।

24– विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष परीक्षाफल अपलोड करना।

25– छात्रवृत्ति की वेबसाइट के मास्टर डाटबेस में शिक्षण संस्था / कोर्स की मान्यता, स्वीकृत सीट संख्या आदि का विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापन एवं डिजिटल सिग्नेचर से लाक।